न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 64/2023 (GCMS No. 2023/07) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बत्तू पुत्र रामधन उम्र 56 साल जाति गूर्जर निवासी छीतर की झौंपडी (सैंगरपुरा) तहसील करौली व जिला करौली (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 27.06.2023 मुकदमा नं. 47/22 उनवानी बत्तू बनाम राजस्थान सरकार एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार करौली दिनांक 24.11.2022 मु. नं. 681/21 उनवान सरकार बनाम बत्तू।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री राजेश सोगरवाल, वकील।

नि र्ण य दिनांक : 26.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 27.06.2023 एवं तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 24.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1320 रकवा 7.09 बीघा गै. मु. नहर में से 0.10 बीघा एवं ख.नं. 1459 रकवा 118.13 बीघा चारागाह में से 0.15 बीघा भूमि वांके ग्राम छीतर की झौंपडी सैंगरपुरा तहसील करौली पर चाटी लगाकर समतल करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार करौली के समक्ष पेश की। तहसीलदार करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2022 से अपीलार्थी को 90 दिवस के सिविल कारावास एवं पैनल्टी व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.06.2023 द्वारा अपीलार्थी की अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट का आराजी खसरा नम्बर 320 रकवा 10 विस्वा गैर मुमकिन नहर एवं खसरा नम्बर 1459 रकवा 15 विस्वा पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 320 दीगर खातेदारों के खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। यदि अपीलांट का उकत भूमि पर कब्जा माना जाता है तो अपीलांट अपना कब्जा हटाने को तैयार है तथा न्यायालय हाजा में अन्डरटेकिंग देने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और न ही भूमि का सीमांकन अपीलांट के समक्ष कराया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमो में उक्त आराजी का सीमांकन अपीलांट की उपस्थिति में कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वाराउक्त तथ्य को नजरअंदाज कर मौके की रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में ना मांगकर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया गया है। दिनांक 24.11.2022 को रिपोर्ट मंगवाई गई और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 27.06.2023 एवं तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 24.11.2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।
5. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा अपीलांट को आराजी ख.नं. 1320 रकवा 10 विस्वा किस्म गैर मुकिन नहर व ख.नं. 1459 रकवा 15 विस्वा चारागाह पर अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी को 90 दिवस सिविल कारावास एवं पैनल्टी बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरूद्व जिला कलक्टर करौली में अपील पेश की। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपील अपीलांट खारिज कर दी।
6. जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि " अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1320 किस्म गै. मु. नहरी के रकवा 0–10 बीघा को चांटी लगाकर समतल करने व ख.नं. 1459 किस्म गै. मु. चारागाह के रकवा 0–15 बीघा पर फसल तारामीरा बोकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने वकालतन उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। अपीलार्थी के विरूद्व 91 (6) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली पुलिस उप अधीक्षक करौली को प्रेषित की गई लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर पत्रावली वापस भिजवा दी गई। अतिक्रमी का कथन है कि यदि सरकार अतिक्रमण मानती है तो अतिक्रमण हटाने को तैयार है परन्तु अभी तक अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। खसरा नम्बर 1320 गै. मु. नहर दर्ज है फिर भी अतिक्रमी अतिक्रमण को नहीं छोड रहा है। अतिक्रमी स्वयं अपना अतिक्रमण उक्त भूमि पर स्वीकार कर रहा है। अपीलांट द्वारा ख.नं. 1320 किस्म गै. मु. नहर व ख.नं. 1459 किस्म चारागाह ग्राम सैंगरपुरा पर अतिक्रमण ना होने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है।" इस प्रकार अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में साबित हुआ है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में और न ही इस न्यायालय में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे अपीलांट के राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना माना जा सके। अपीलांट द्वारा अभी तक अपना कब्जा नहीं हटाया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का धारा 91 एलआरएक्ट ग्राम सैंगरपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ख.नं. 1320 किस्म गै. मु. नहरी के रकवा 0–10 बीघा को चांटी लगाकर समतल करने व ख.नं. 1459 किस्म गै. मु. चारागाह के रकवा 0–15 बीघा पर अपीलांट के नाजायज कब्जा की रिपोर्ट अंकित है। चारागाह एवं गैर मुमकिन नहर की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय तहसीलदार में अपीलांटस ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया जिसमें उक्त ख.नं. 1320 एवं 1459 पर उन्होंने उनका कब्जा नहीं होना माना परन्तु जिसकी जॉच तहसीलदार द्वारा पुनः कराने पर दिनांक 21.02.2022, 18.10.2022 एवं 24.11.2022 की रिपोर्ट में पुनः मौके पर कब्जा नहीं हटाने तथा अतिक्रमण कर चांटी लगाकर समतल करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें अतिक्रमण पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। इसके वाद कब्जा हटाने के कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाइ का पर्याप्त अवसर देकर दस्तावेज एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 24.11.2022 एवं जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 27.06.2023 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर